न्यायालय–प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जौनपुर।
सत्र परीक्षण संख्या– 325/2005
रजिस्ट्रेशन संख्या–100325/2005
सीएनआर.नं0–यूपीजेपी. 010000352005
स्टेट–––––––––––बनाम––––––––राम बहादुर एवं अन्य
मु0 अ0 सं0– 370/2004
धारा– 302 आई0 पी0 सी0
थाना–सुजानगंज, जिला जौनपुर।

02.09.2022 **आदेश**

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर अभियुक्तगण सुरेन्द्र एवं चन्द्र प्रकाश उपस्थित आये, जबकि अभियुक्तगण अशोक एवं ओम प्रकाश सिंह की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो आज के लिए स्वीकृत। अभियुक्त राम बहादुर की मृत्यु आख्या के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री सिंह उपस्थित आयी और उनका बयान अंकित किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त राम बहादुर की मृत्यु की सूचना पर थाना सुजानगंज, जौनपुर से मृत्यु आख्या आहूत की गयी। उक्त आख्या प्रपत्र संख्या–283ख/1 दिनांकित 03.08.2022 है। उक्त आख्या में तामील कुनिन्दा कां0 विजय शंकर यादव ने कथन किया है कि अभियुक्त राम बहादुर की मृत्यु लगभग दो माह पूर्व हो गयी थी। उसके द्वारा उक्त कथन ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी ग्राम पंचायत देवकली, विकास खण्ड सुजानगंज जिला जौनपुर के लिखित प्रमाण पत्र का0 सं0–283ख/2 के आधार पर कही गयी थी। उक्त तामील कुनिन्दा का बयान दिनांक 17.08.2022 को बतौर सी0 डब्लू0–1 अंकित किया गया है। उसने प्रपत्र संख्या–283ख/1 पर अपनी आख्या प्रेषित होना होना बताया तथा कहा है कि अभियुक्त राम बहादुर की मृत्यु लगभग दो माह पूर्व हो चुकी है। ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी का बयान बतौर सी0 डब्लू0–2 अंकित किया गया जिसमें उन्होंने प्रपत्र संख्या–283ख उनके द्वारा जारी किया जाना बताया गया तथा यह कथन किया गया कि अभियुक्त राम बहादुर की मृत्यु हो चुकी है। थाने की आख्या एवं तामील कुनिन्दा के बयान तथा समर्थक बयान ग्राम प्रधान से अभियुक्त राम बहादुर की मृत्यु हो जानी पायी जाती है। अतः अभियुक्त राम बहादुर के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण उपशमित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 14.09.2022 को पेश हो। साक्षीगण आहूत हो।

(राजेश कुमार राय)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,जौनपुर।
जे.ओ.कोड नं0–यू.पी. 6021